

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/124/2016

प्रवेश तिथि

24-10-2016

निर्णय दिनांक

10-05-2018

01- जुम्मा पुत्र सुमेर जाति मेव निवासी ग्राम पिपरोली तह0 रामगढ जिला अलवर

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 21.09.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 207/2016

उपस्थित:-

01-श्री अख्तर हुसैन

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 21.09.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पिपरोली की सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 959/2025 रकबा 0.31 है0, 959 रकबा 0.80 है0 एवं 948 रकबा 0.33 है0 गै0 मु0 बंजड-अव्वल में से 0.44 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पिपरोली की सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 959/2025 रकबा 0.31 है0, 959 रकबा 0.80 है0 एवं 948 रकबा 0.33 है0 गै0 मु0 बंजड-अव्वल में से 0.44 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 24.08.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 21.10.2016 में कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का पिपरोली द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)